

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—112/20 (2020/00173) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. भंवर पिता गोकल कुम्हार निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1. सुवा पिता गोकल कुम्हार निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. सोहन पिता घीसा कुम्हार निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हीरा पिता नाथु कुम्हार निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लोभु पिता भज्जा कुम्हार निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भैरूलाल पिता मदनलाल पितलिया निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भंवरलाल पिता शंकरलाल कटारिय्य नि. नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. हेमा पिता सुरजमल जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 01.12.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है ग्राम नाथड़ियास पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार एवं कब्जे काशत आराजी संख्या 967 रकबा 0.23 है, आराजी संख्या 2002 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 2003 रकबा 0.05 है, आराजी संख्या 2004 रकबा 0.15 है, आराजी संख्या 2005 रकबा 0.14 है, आराजी संख्या 2006 रकबा 0.07 है, आराजी संख्या 2007 रकबा 0.18 है, आराजी संख्या 2008 रकबा 0.20 है, आराजी संख्या 2252 रकबा 0.05 है, आराजी संख्या 2253 रकबा 0.05 है, आराजी संख्या 2255 रकबा 0.31 है, आराजी संख्या 2256 रकबा 0.35 है, आराजी संख्या 2259 रकबा 0.14 है, आराजी संख्या 2260 रकबा 0.38 है, आराजी संख्या 2261 रकबा 0.33 है, आराजी संख्या 2262 रकबा 0.04 है, आराजी संख्या 2263 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 2264 रकबा 0.02 है, आराजी संख्या 2265 रकबा 0.09 है, आराजी संख्या 2270 रकबा 0.07 है, आराजी संख्या 2271 रकबा 0.07 है, आराजी संख्या 2272 रकबा 0.20 है, आराजी संख्या 2991 रकबा 0.25 है, आराजी संख्या 2992 रकबा 0.18 है कुल कितना 28 कुल रकबा 3.63 है भूमि खाता संख्या 287 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ



सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 18.08.2020 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 14.09.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 व 3 लगायत 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 2 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 2 ने अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित आराजी संख्या 2270, 2271, 2272 कुल किता 3 कुल रकबा 0.34 है0 पर मेरे सगे भाई व छोटे भाई की पत्नि तथा मेरी पुत्रवधु का कब्जा है तथा आराजी संख्या 2266 व 2269 के साथ मिली हुई एक ही चक में है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि विपक्षी के बड़े भाई डालु पिता नाथु कुम्हार व लाडुदेवी पत्नि नेनु कुम्हार की खातेदारी आराजी नम्बर 2266, 2267, 2268, 2269 व 2207 जिसके साबिक नम्बर क्रमशः 601 व 602 थे जिसके साबिक नक्शे अनुसार बैठे हुए है किन्तु नवीन नक्शा सेटलमेन्ट के दौरान त्रुटी पूर्ण तरमीमात हो जाने से प्रार्थीगण की आराजी संख्या 2270, 2271, 2272 पर उनका कब्जा आता है। इसी कारण एक वाद डालु वगैरा ने न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिसके प्रकरण संख्या 48/2019 है जो विचाराधीन है। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो गलत रूप से प्रस्तुत किया है जो मौके पर पक्षकारो के मध्य विवाद पैदा करने वाला है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है एवं विपक्षी संख्या 2 द्वारा अवगत कराया गया प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है परन्तु पत्थरगढी कराने में खातेदार स्वतंत्र है अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नाथड़ियास पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार एवं कब्जे काश्त आराजी संख्या 967 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 2002 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2003 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2004 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 2005 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 2006 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 2007 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 2008 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 2252 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2253 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2255 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 2256 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 2259 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 2260 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 2261 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 2262 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 2263 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2264 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2265 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 2270 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 2271 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 2272 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 2991 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 2992 रकबा 0.18 है0 कुल कित्ता 26 कुल रकबा 3.63 है0 भूमि खाता संख्या 287 पर दर्ज रेकार्ड है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें और मौके पर बिना किसी के कब्जे में दखल किये सीमांकन कराया जावे तथा मौके पर खातेदार के अलावा अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे तो पर्चा मौका में इसका अंकन करते हुए उस कब्जे शुदा रकबे को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट में पेश करे एवं खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Signature)*  
1/12/2020  
(सुन्दर लाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी, जिल्हा न्यायालय  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—112/20 (2020/00173) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. भंवर पिता गोकल कुम्हार निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1. सुवा पिता गोकल कुम्हार निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. सोहन पिता घीसा कुम्हार निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हीरा पिता नाथु कुम्हार निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लोभु पिता भज्जा कुम्हार निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भैरूलाल पिता मदनलाल पितलिया निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भंवरलाल पिता शंकरलाल कटारिया नि. नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. हेमा पिता सुरजमल जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट


प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 01.12.2020 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम नाथड़ियास पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार एवं कब्जे काशत आराजी संख्या 967 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 2002 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2003 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2004 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 2005 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 2006 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 2007 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 2008 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 2252 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2253 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 2255 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 2256 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 2259 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 2260 रकबा 0.38 है0, आराजी संख्या 2261 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 2262 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 2263 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2264 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2265 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 2270 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 2271 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 2272 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 2991 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 2992 रकबा 0.18 है0 कुल किता 26 कुल रकबा 3.63 है0 भूमि खाता संख्या 287 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)  
01.12.2020

उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट  
रायपुर जिला भीलवाड़ा